

सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर अपवंचन विरोधी, भारतपुर

बनाम

मेसर्स एमटेक इंडिया लिमिटेड

22 फरवरी, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और एस. एच. कपाडिया, न्यायाधिपतिगण]

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994-धारा 78 (5)-गैर-वास्तविक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्धारण प्राधिकरण द्वारा मालवाहक पर लगाया गया जुर्माना-उच्च न्यायालय ने लेनदेन को वास्तविक मानते हुए कहा कि मूल्यांकन अधिकारी सद्भावना की दलील नहीं ले सकता है और अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने के लिए व्यय अधिरोपित किया -अपील में निर्णीत किया गया : निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की अनदेखी की और कहा कि बिना किसी उचित आधार के हेरफेर होने के बारे में कहा गया था, इस प्रकार, इसकी कार्रवाई उचित नहीं थी-हालांकि, अधिरोपित व्यय को रद्द कर दिया गया।

शब्द और वाक्यांश: 'सद्भावना'-का अर्थ है

प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने माल प्रेषकों से कुछ सामान खरीदे। निर्धारिती के वाहन की जांच की गई और निर्धारण प्राधिकरण ने प्रस्तुत दस्तावेजों को असली नहीं माना क्योंकि उसमें चालान की तारीख से और चालान की वितरण की तारीख भिन्न थी और राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 78 (5) के तहत जुर्माना लगाया गया। यह निर्धारिती का मामला था कि माल चालान के तहत खरीदा गया था जिसमें विक्रेता ने उत्पाद शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर लगाया था, हालांकि उन्हें एक साल के बाद माल प्राप्त हुआ था। अपीलीय अधिकारियों ने जुर्माने को रद्द कर दिया। राजस्व ने पुनरीक्षण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और मूल्यांकन अधिकारी पर व्यय अधिरोपित की। इसने अभिनिर्धारित किया कि पारगमन और लेनदेन पूरी तरह से वास्तविक थे; कि अधिकारियों की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता है; और वे सद्भावना का आधार नहीं ले सकते हैं जो स्थापित नहीं थी। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने निर्णीत किया:

1. क्या कोई सद्भावना से किया गया कार्य है, यह तथ्यात्मक परिदृश्य पर निर्भर करेगा। "सद्भावना" स्थापित करने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि ऐसा होने का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में जो आरोप

लगाया गया है, वह सच है। जो कुछ भी उचित सावधानी और ध्यान के साथ किया जाता है, जो दुर्भावनापूर्ण नहीं है ऐसा माना जाता है कि यह 'सद्भावना' से किया गया है।

1.2. तत्काल मामले में, हालांकि प्रस्तुत दस्तावेजों की अनदेखी करने में और हेरफेर के बारे में निष्कर्ष पर आये निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई पूरी तरह से अनावश्यक और बिना किसी उचित आधार के प्रतीत होती है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें अधिकारी को अधिक सावधान रहना चाहिए था और इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था जैसे कि वह एक शिकारी था न कि राजस्व का प्रहरी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ी संख्या में मामलों में पूरी तरह से तर्कसंगतता से रहित आदेश पारित किए जा रहे हैं। वे किसी भी तरह से सार्वजनिक हित की सेवा नहीं करते हैं, राजस्व हित भी बहुत कम। इसलिए, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि निर्धारण प्राधिकरण की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अनुचित थी, व्यय लगाने के निर्देश को दरकिनार कर दिया जाता है। दीना बनाम भरत सिंह, [2002] 6 उच्चतम न्यायालय 336, आधार लिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 896/ 2007

(राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के एकल पीठ बिक्री कर पुनरीक्षण याचिका संख्या 12/ 2006 के न्यायिक निर्णय और अंतिम आदेश के विरुद्ध।)

अपीलार्थी के लिए सुशील कुमार जैन, पुनीत जैन, सृष्टि जैन, सरद सिंघानिया, एच. डी. थानवी और रानी माहेश्वरी।

न्यायालय का निर्णय निम्न के द्वारा दिया गया था।

डा. अरिजित पासायत, न्यायाधिपति

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. इस अपील में जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, और वाणिज्यिक कर अपवंचन विरोधी अधिकारी भरतपुर, जिन्होंने 14.09.2001 दिनांकित निर्धारण आदेश पारित किया द्वारा व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने के लिए 5,000/- रुपये का व्यय अधिरोपित किया ।
3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 78 (5) के तहत जुर्माना प्रत्यर्थी (इसके बाद 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित) पर इस आधार पर लगाया गया था कि 7.9.2001 पर वाहन की जांच के समय, प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि मेसर्स जॉर्ज फिशर डिसा लिमिटेड, सत्यमंगला औद्योगिक क्षेत्र, टुमकूर, कर्नाटक का 29.9.2000 का बिल No.155 दिनांकित है ने प्रत्यर्थी-निर्धारिती मेसर्स एमटेक इंडिया लिमिटेड, बिवाड़ी के साथ डिलीवरी चालान संख्या 5259 दिनांक 3.9.2001 फॉर्म संख्या एसटी-18ए जिसमें चालान No.155 का भी उल्लेख किया गया था और कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम के तहत निर्धारित फॉर्म No.एसटी-39 और उक्त माल के साथ पूर्वोक्त वहन निगम की बिल्टी सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया था।हालाँकि, उक्त चालान संख्या 155 दिनांकित 16.2.2000 की तारीख, 3.9.2001 के वितरण चालान में उल्लिखित तिथि की तुलना में पहले के समय की पायी गई थी। इसलिए, मूल्यांकन प्राधिकरण ने माना कि उक्त दस्तावेज संदिग्ध था और अधिनियम की धारा 78 (2) (ए) का पालन नहीं किया गया था, और प्रत्यर्थी-निर्धारिती, प्रेषिती या खरीदार पर जुर्माना रु 1,36,200/- @ 30 प्रतिशत माल के मूल्य का अधिरोपित किया।

4. निर्धारिती के अनुसार, प्रत्यर्थी-निर्धारिती द्वारा मालवाहक से खरीदे गए संयंत्र और मशीनरी और उपकरण, हालांकि दिनांक 16.2.2000 के चालान

के तहत खरीदे गए थे, जिसमें विक्रेता द्वारा सी-फॉर्म के खिलाफ 4 प्रतिशत की दर से देय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर लगाया गया था, लेकिन माल को लगभग एक वर्ष के अंतराल के बाद भेजा और प्राप्त किया गया था।

5.लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि विक्रेता-कंपनी द्वारा उठाया गया चालान वास्तविक नहीं था और इसलिए, जुर्माना उचित नहीं था।

6. दोनों अपीलीय प्राधिकरण अर्थात डी. सी. (अपील) के साथ-साथ कर बोर्ड ने निर्धारिती के उक्त स्पष्टीकरण को संतोषजनक और सही पाया और इसलिए, अधिनियम की धारा 78 (5) के तहत जुर्माने को रद्द कर दिया। राजस्व ने मामले में उत्पन्न होने वाले कानून के कथित प्रश्न पर अधिनियम की धारा 86 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने पाया कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है।

7. दायर की गई पुनरीक्षण याचिका में, एफ अपीलीय प्राधिकरण यानी डीसी (अपील) और कर बोर्ड द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की शुद्धता पर सवाल उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, दोनों राज्यों के बिक्री कर प्राधिकरणों द्वारा जारी घोषणाओं ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि पारगमन और लेनदेन

पूरी तरह से वास्तविक थे और निर्धारण प्राधिकरण के लिए दस्तावेज़ को गैर जी वास्तविक रखने का कोई कारण नहीं था ताकि अधिनियम की धारा 38 (5) के तहत माल के मूल्य के 30 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जा सके। उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि अधिकारियों की कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और वे सद्भावना की दलील नहीं ले सकते हैं। कथित सद्भावना स्थापित नहीं हुई थी और इसके विपरीत कार्रवाई ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि मूल्यांकन अधिकारी वास्तविक दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए मांग को लागू करने पर आमादा था। तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई और व्यय अधिरोपित किया गया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि निर्णय की त्रुटि को दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जिसके कारण उच्च न्यायालय द्वारा की गई गंभीर आलोचना की आवश्यकता हो और व्यय अधिरोपित करने की आवश्यकता भी हो।

9. नोटिस के बावजूद प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

10. क्या कोई कार्य सद्भावना से किया गया है, यह तथ्यात्मक परिदृश्य पर निर्भर करेगा। "सद्भावना" स्थापित करने के लिए, यह स्थापित करना

होगा कि ऐसा होने का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में जो आरोप लगाया गया है, वह सच है।

11 "जनरल क्लॉज एक्ट, 1897 की धारा 3 (22) की परिभाषा के अनुसार "सद्भावना" का अर्थ है एक ऐसी चीज, जिसे वास्तव में ईमानदारी से किया जाता है, चाहे वह लापरवाही से किया गया हो या नहीं।

12. जो कुछ भी उचित सावधानी और ध्यान के साथ किया जाता है, जो दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसे 'सद्भावना' में किया गया माना जाता है।

13 'सद्भावना' को परिसीमा अधिनियम की धारा 2 (एच) के तहत 'सद्भावना' के रूप में परिभाषित किया गया है-ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो सद्भावना से किया गया हो जो उचित देखभाल और ध्यान के साथ नहीं किया गया हो।

14. भारतीय सीमा अधिनियम, 1963 के तहत एक मामले पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि धारा 14 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'सद्भावना' का अर्थ है 'उचित देखभाल और ध्यान का प्रयोग'। धारा 14 के संदर्भ में, 'सद्भावना' अभिव्यक्ति न्यायालय में कार्यवाही का अभियोजन करने के योग्य है, जिसे अंततः कोई अधिकार क्षेत्र नहीं पाया जाता है। सद्भावना या उसकी अनुपस्थिति के बारे में निष्कर्ष खोज का तथ्य है।[दीना बनाम भरत सिंह, [2002] 6 एससी 336 देखें)

15. भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.!) की धारा 52 "सद्भावना" के संबंध में उचित देखभाल और ध्यान पर जोर देती है।

16. इस मामले में हालांकि संबंधित निर्धारण अधिकारी की कार्रवाई, प्रस्तुत दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए हेरफेर के बारे में निष्कर्ष पर आना, पूरी तरह से अनावश्यक और बिना किसी उचित जी आधार के प्रतीत होता है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें अधिकारी को अधिक सावधान रहना चाहिए था और इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था जैसे कि वह एक शिकारी था न कि राजस्व का प्रहरी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ी संख्या में मामलों में पूरी तरह से तर्कसंगतता से रहित आदेश पारित किए जा रहे हैं। वे किसी भी तरह से सार्वजनिक हित की सेवा नहीं करते हैं, राजस्व हित भी बहुत कम।

17.इसलिए, यह मानते हुए कि निर्धारण प्राधिकरण की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अनुचित थी, हम व्यय अधिरोपित करने के निर्देश को हटाने का निर्देश देते हैं।हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि भविष्य में यदि ऐसी कोई कार्रवाई अदालतों/प्राधिकरणों के संज्ञान में आती है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में प्रमाणिकता की कमी के बारे में की गई टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

18. तदनुसार अपील का निस्तारण किया गया।

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।